Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **झालावाड़ में पुलिस कानिस्टेबल का दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *30 सितम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर झालवाड़ इकाई द्वारा आज गुरूवार को कार्यवाही करते हुये सुरेश कुमार कानिस्टेबल, पुलिस थाना सदर, जिला झालावाड़ के दलाल नाथूलाल (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की झालवाड इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध दर्ज शिकायत में राजीनाम करवाने की एवज में सुरेश कुमार कानिस्टेबल, पुलिस थाना सदर, जिला झालावाड़ द्वारा उसके दलाल नाथूलाल (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से 35 हजार रूपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी झालवाड इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भवानी शंकर मीणा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये दलाल नाथूलाल पुत्र श्री मदन लाल सुथार निवासी मोतीपुरा थाना सदर, जिला झालावाड़ (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **10 हजार रुपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सुरेश कुमार पुत्र श्री कानाराम गुर्जर निवासी आंतरी, पुलिस थाना सदर, जिला सीकर हाल कानिस्टेबल, पुलिस थाना सदर, जिला झालावाड़ ए.सी.बी. कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।